Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

भारतीय धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता में वेदान्त की सार्थकता

डा श्रीनिवास मिश्र[9]

धर्म बहुत व्यापक है। सब कुछ उसमें समाहित है। जड़ से लेकर चेतन तक। नर से लेकर नारायण तक। इह लोक से लेकर परलोक तक। जरा से लेकर मरण तक। सब कही का सब कुछ उसी के पकड़ में है। प्रत्येक इकाई अपने–अपने धर्म का पालन करती हुई चलती हैं यदि किसी में अपने धर्म का परित्याग किया तो गया। यदि सभी ने अपने–अपने धर्म का पालन किया तो धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य होगा।

धर्म शब्द 'धृ' धातु से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है धारण करना । धर्म की व्युत्पत्ती तीन प्रकार से बतायी गयी है ।

1. ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः –जिससे लोक धारण किया जाय वह धर्म है ।
2. धारति धारयति वा लोकम् इति धर्मः–जो लोक को धारण करे वह धर्म है ।
3. ध्रियते यः सधर्मः–जो दूसरो से धारण किया जाय वह धर्म है।

धर्म का व्यापकत्व पकड़ में नहीं आता। कोई इसे अध्यात्मिक तेज समझता है, कोई जनता का कर्तव्य। कोई परमात्मा के प्रति श्रद्धात्मक भावना मानता है, कोई आत्मा की पीड़ा और प्रेम। कोई धर्म को राष्ट्रोन्नति और वैयक्तिक आह्वान समझता है, कोई विष्व का तत्व ज्ञान, कोई धर्म को जन्म मरण का उद्घाटक मानता है। कोई आत्मा परमात्मा का समागम मानता है। कोई धर्म को सर्वोत्तम मित्र मानता है, तो कोई दर्शन की ज्येष्ठा भगिनी।

मनोवृत्तियां–दया, अहिंसा, सत्य आदि धर्म है। इन्द्रियों का कार्य देखना, श्रवण करना आदि धर्म है। व्यक्ति के कर्तव्य–पुत्र का, पिता का, माता का, मित्र का, धर्म है, पदार्थ का गुण, अग्नि का जलना, जल का भिगोना आदि धर्म है। जहां तक दृश्टि व समझ दौड़ती है, जहां तक कल्पना उड़ान भरती है धर्म की डोर में हमें पकड़ें मिलती है।

व्यक्ति के व्यवहार के लिए मनु ने धर्म के दस लक्षण बताये हैं।

धृति क्षमा दयोस्तेयं शोचं इन्द्रिय निग्रह।
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।

ये लक्षण किसी वर्ग या किसी जाति से नहीं रखते अपितु समस्त मनुश्य जाति

[9] असिसटेन्ट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र मदन मोहन मालवीय पीजी कालेज भाटपार रानी

का परिस्कार कर, जन जीवन की मंगल कामना से परिपूरित है।

यतो अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः

व्यवस्था के ताने बाने से लेकर परम प्राप्ति के सुख तक सब कुछ धर्म की धारणा से है। इसलिए भारत में व्यक्ति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म सभी का निर्वाह आवष्यक है।

ऐसे धर्म को रेलीजन या मजहब कैसे कह दिया जाय इस धर्म के दण्ड के नीचे तो भारती जीवन की प्रत्येक श्वांस चलती है। राजा हो या प्रजा, सत्ता हो या समाज अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए सेक्यूलर के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द हो ही नहीं सकता। रेलीजन एक सम्प्रदाय है। विश्व के अनेक राज्य सम्प्रदाय पर आधारित सम्प्रदायिक राज्य है। सम्प्रदाय पर आधारित जो राज्य नहीं है वे असम्प्रदायिक राज्य है। जिन राज्यों की सत्ता किसी भी पंथ का प्रचार–प्रसार या नियंत्रण नहीं करती, किसी भी पंथ का विरोध नहीं करती और विना किसी भेद–भाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है वे राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य हैं।

इसलिए सेक्यूलर स्टेट के लिए हिन्दी भाशा का निकटम शब्द पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसे असम्प्रदायिक राज्य भी कहा जा सकता है। भारतीय संविधान में भी 42वें संशोधन में जो सेक्यूलर शब्द प्रयुक्त हुआ, उसके नीचे अब पंथ शब्द आ गया है।

भारतीय सामाजिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श की व्यवहारिक परिणति न हो पाने के कारण साम्प्रदायिक तनाव एवं वैमनस्व बढा हुआ है। इसका मूल कारण धर्म निरपेक्षता का सामाजिक आदर्श पश्चिम से आयात होना है। यहां धर्म निरपेक्षता का अर्थ अपनी धार्मिक अस्थाओं को तिलांजलि देना न होकर दूसरे धर्मों के प्रति सामान आदर का भाव रखना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार करते हुए सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्थाओं, परम्पराओं तथा प्रार्थना–विधियों का पालन करने एवं उनको प्रचारित प्रसारित करने की अधिकार प्राप्त है।

सभी धर्मो के प्रति समान आदर करने वाले व्यक्ति के लिए क्या धर्म परिवर्तन का कोई अर्थ या महत्व हो सकता है धर्म के हृदय अथवा मर्म को पहचान लेने वाले व्यक्ति के लिए यदि सभी धर्मों के प्रति सम्यक् भाव है तो उसके लिए यह एक नैमित्तिक मात्र बात है कि उसके पूर्वज तथा अन्य सम्बंधी किस मत को प्राथमिकता देते थे और किस सम्प्रदाय की आस्थाओं के साथ उसका परिचय हुआ था। सर्वधर्मसम्भाव की यहीं सच्ची सार्थकता है।

धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म (पंथ) तथा राजनीति को पृथक्ता में विश्वास रखता है। धारणा है कि राज्य की ओर से किसी भी धर्म(पंथ या सम्प्रदाय) को न तो मान्यता दी जा सकती है और न ही किसी धर्म (पंथ या सम्प्रदाय) का विरोध किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य धर्म को (पंथ या सम्प्रदाय) व्यक्ति का आतंरिक विशय मानता है और धारणा रखता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के धार्मिक(पंथ या सम्प्रदाय) विचारों को न तो प्रभावित किया जा सकता है और न ही राज्य इस प्रकार का कोई प्रयत्न करता है।

इस दृष्टि को रखते हुए कहा जा सकता है कि ''धर्म निरपेक्ष राज्य

वह होता है, जिसकी ओर से किसी धर्म विषेश का प्रचार–प्रसाद या नियंत्रण न किया जाता हो और न तो धार्मिक (पांथिक) सहिश्णुता मे विश्वास रखते हुए सभी धर्मों या पंथो(सम्प्रदायों) का समान समझता है तथा राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के धार्मिक (पांथिक, साम्प्रदायिक) भेद भाव के समान सुविधा प्रदान करता है''। धर्म–पंथ, मजहब, रेलीजन या साम्प्रदाय का प्रयाय नही है। इस भाव को वेंकटरमन के शब्दों में कह सकते है कि ''ऐसा राज्य न तो धार्मिक होता है और न धर्म विरोधी। यह धार्मिक कियाओं और मतमतांतरो से परे, इस प्रकार के धार्मिक मामलो से तटस्थ रहता है''। पंडित जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है धर्म और आस्था की स्वतंत्रता जिनका कोई धर्म नही, उनके भी स्वतंत्रता इसका अभिप्राय है, सब धर्मो के लिए स्वतंत्रता। इसका अर्थ है समाजिक एवं राजनीतिक स्वतत्रंता। बाबा साहेब अम्बेडकर इसी तथ्य को स्प्ष्ट करते हुए कहते है सेकुलर स्टेट का यह आशय नही है कि हम जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में नही रखते। सेकुलर का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इस संसद की किसी विशिष्ठ धर्म को बाकी जनता पर लागू करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। यह संविधान केवल इसी सीमा तक संसद के अधिकार को स्वीकार करता है। सेकुलर राज्य का अर्थ ''रेलीजन'' को समाप्त करना नही होता।

पंथ (धर्म) राज्य लोककल्याणकारी राज्य का रूप है। एक व्यक्ति या वर्ग का कल्याण, राज्य का कल्याण नही, राज्य के सभी व्यक्तियों का कल्याण लोककल्याण है। इस दृश्टिकोण को रखने के लिए राज्य एक पंथ से बध कर नही चल सकता है। पंथ निरपेक्ष राज्य, समान रूप से लोकहित में है, डा0 सक्सेना लिखते है ''धर्म (पंथ) निरपेक्ष राज्य एक लोककल्याणकारी राज्य होता है और बहु धर्मों (पंथी) राज्य में तो लोकलक्याण राज्य का लक्षण होता है, वहीं उसके धर्म का गन्तब्य है। आज तो लोकतंत्र लोककल्याण और धर्म(पंथ) निरपेक्ष का प्रयोग आदर्श राज्य के लिए होता है''।

विश्वबन्धुत्व और विश्व राज्य में सहायक समन्यवय और शांति का मार्ग अपनाते हुए पंथ निरपेक्ष राज्य सारे विश्व का प्रकाश बन सकता है। जब एक देश में अनेक सम्प्रदाय एक साथ रहते हुए एक व्यवस्था में बध सकते है तो इस दृष्टि को अपनाकर, विष्व के सारे देष और राज्य एक व्यवस्था में बधने के लिए तैयार हो सकते है। विष्व बन्धुत्व की यह दृढ़ भूमिका है।

भारतीय दर्शन और भारतीय पंथ इसी रास्ते के पथिक है। इसलिए विभिन्नता में एकता यहां का मूल मंत्र रहा है। पंथ निरपेक्ष राज्य की भूमिका, भारतीय राज्य चिंतक के व्यापक क्षेत्र का एक अंष मात्र है। यह पंथ निरपेक्षता स्वीकार कर हम भारतीय आदर्श की ओर बढ़ सकते है। भारत में व्यक्ति इकाई अपना पोषण कर, परिवार समाज इकाई को स्वस्थता तथा पूर्णता प्रदान करती है। समाज एक विराट इकाई बन, राष्ट्र का रूप बन विकसित होता है यही विकास का क्रम है।

यहां किसी का विरोध नही, किसी का अहित नही सभी को साथ

लेकर एक स्वस्थ विकास की प्रक्रिया में बह निकलता है सबका हित हो, उसकी साधना है। जो व्यक्ति जितना अधिक व्यापक हित को सर्मपण करता है उतना ही वह बड़ा होता है। अपने लिए जीने वाले तो पशु है परिवार के लिए चलने वाला सामान्य मनुश्य, समाज के लिए खपने वाला महापुरूष और श्रृष्टि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाला तो देव बन जाता है। वही व्यक्ति श्रेष्ट है। जिसका प्रत्येक कार्य गंगा के प्रवाह के समान सबके लिए हितकारी हो। ''कीरती मणिती भूति मल सोई, सुरसरि सम सबकर हित होई'' भारतीय संस्कृति के गौरवग्रंथ के गीता में कृष्ण का कथन है कि सम्पूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न मनुश्य ईष्वर को प्राप्त होते है। ''तो प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः'' यहां कामना की जाती है कि सभी का कल्याण हो सभी सुखी हो ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' इस सुख और कल्याण के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए भारतीय सतत प्रयत्नषील रहता है। भारतीय संस्कृति की सच्ची प्रतीक गंगा है। गंगा सभी का हित साधन करती है।

भारतीय संविधान में भी इन मूल भावनाओं को स्थान प्राप्त है। संविधान में पूर्ण विश्वास दिलाया है कि सम्प्रदाय और पंथ के आधार पर राज्य में किसी के साथ भेद–भाव नही किया जायेगा। सविधान की धारा15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को धर्म (पंथ) के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेष से वर्जित नही किया जायेगा। धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक पदो पर नियुत्यिां करने में धर्म(पंथ) के आधार पर भेद–भाव नही किया जायेगा। धारा 25 के अनुसार धार्मिक(पंथ) स्वतंत्रता दी गयी है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विष्वास के आधार पर किसी भी मत का मतवालम्बी बने, कोई भी पंथ स्वीकार करे और अपनी उपासना करे। संविधान की धारा 16 में कहा गया है कि प्रत्येक सम्प्रदाय को धार्मिक कथा परोपकारी उद्वेश्यों के लिए संस्थाए स्थापित करने और उन्हें चलाने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने चल–अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। धारा 27 के अंतगर्त धार्मिक तथा परोपकारी कार्यों के लिए खर्च की जाने वाले संपत्ति पर कोई कर नही लगेगा।

ऐसा में आज के वैज्ञानिक युग में यद्यपि स्वार्थपरता का बोल बाला सभी जगहों पर अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। भौतिकता की तीव्र आंधी मानवीय आर्दषों एवं मूल्यों को समूल धाराशायी कर रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का प्रतिक्षण ह्रास हो रहा है। ऐसे में अद्वैत विचारधारा जिसमें नानत्व को मिथ्या कहा गया है। एक ही सत्य का प्रतिपादन किया गया है, की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है।

वस्तुतः शंकर दर्शन ''जीवो ब्रहैम्व नापरः'' की सिद्धि द्वारा लोककल्याण को संदेष देता है। मानव एवं राश्ट्र तथा एक राष्ट्र व दूसरे राष्ट्रों के बीच प्रेम की भावना को जागृति करता है।

''सर्वखल्विदंब्रम्ह'' के माध्यम से अद्वैतवादी विचारधारा उच.नीच, मैं.तू, स्वार्थ . परार्थ का भेद मिटा देता है। जिसके कारण विश्व बन्धुत्व की भावना विकसित होती है आज जो विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायों पर लड़ाई झगड़े हो रहे है इस प्रकार के सम्प्रदायिक एवं धार्मिक जहर को अद्वैती विचार धारा महत्वहीन बना देती है। यदि हम ऐसी धारणा का आत्मशात करें कि सबमें एक

ही चैतन्य है। तो भेद दृ द्वेश, घृणा आदि दुर्भावनायें समाप्त हो जाएगी और ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की आदिकालीन भारतीय मनिशियों की अवधारणा मूर्त रूप प्राप्त कर वेदांत की सार्थकता एवं उपयोगिता को साकार कर सकेगी।

सन्दर्भ सूची

1. डा ब्रम्हदत्त अवस्थी, धर्म ; पंथद्ध निरपेक्षता उखनउ पृ.8 दृ 9
2. मनुस्मृति दृ मेधातिथ्यादि शट्टीका, गणपति कृष्णजी प्रेस बम्बई
3. महाभारत – गीता प्रेस गोरखुपर
4. ऋगवेद संगीता – निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1925 ई0
5. ठाकुर, एलडी – प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन लखनउ 1965
6. मीतल डा सुरेन्द्र नाथ – प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारायें मेरठ 1973 ई0
7. अथर्ववेद संहिता दृ सायण भास्य एसपी पडिण्त द्वारा सम्पादित बम्बई

कोश

1. Encyclopidia Ammericana
2. Encyclopidia, Britanica
3. Encyclopidia of Religion and Ethics, Ed By Jamis Hastings New york